न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/45/2022

अपीलांट गवरी देवी
निवासी रामजी की ढाणी पोस्ट धारासर, हुडों का तला चौहटन

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

<u>आदेश</u>

दिनांक : 02.05.2022

अपीलार्थी गवरी देवी निवासी रामजी की ढाणी पोस्ट धारासर, हुडों का तला चौहटन ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाडमेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र एवं शुल्क की प्रति दिनांक 17.03.2022 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब में प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील का उचित निस्तारण किया जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में केवल ऑनलाईन पोर्टल का लिंक उपलब्ध करवाकर स्वयं ही सूचना प्राप्त करने का जवाब प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने में रेस्पोडेंट द्वारा कोताही बरती गई है। अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके विभाग से संबंधित सूचना के पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की [illegible] राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी [illegible] द्वारा नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी [illegible] सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)